



षोडश
बिहार विधान सभा

द्वादश सत्र
अल्पसूचित प्रश्न
वर्ग-1

सोमवार, तिथि 29 मार्च, 1940 (श०)
18 फरवरी, 2019 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 01

(1) वित्त विभाग

कुल योग — 01

कार्रवाई करना

10. श्री समीर कुमार महासेठ--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि साख जमा अनुपात (Credit Deposit Ratio) का राष्ट्रीय औसत जहाँ 78.96 है वहीं बिहार का मात्र 32.80 है, साथ ही संघ शासित क्षेत्रों एवं राज्यों की सूची में बिहार का क्रमांक 26वाँ है, जिसके कारण राज्य में उद्योग धंधों का प्रसार नहीं हो पा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार राज्य में साख-जमा अनुपात को राष्ट्रीय औसत तक लाने के लिये कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

प्रभारी मंत्री--(1) सरकार द्वारा राज्य में साख-जमा अनुपात सुधारने के लिये बैंकों के साथ सतत् प्रयास किये जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप विगत वर्षों में साख-जमा अनुपात में सुधार भी परिलक्षित हुआ है। 2009-10 में राज्य का साख-जमा अनुपात 32.13 प्रतिशत था, जो 2017-18 में बढ़कर 43.15 प्रतिशत हो गया। राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति के अद्यतन प्रतिवेदन के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में सितम्बर, 2018 तक साख-जमा अनुपात 42.43 प्रतिशत रहा है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक इसमें और वृद्धि होने की संभावना है।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक के अद्यतन उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर साख-जमा अनुपात का राष्ट्रीय औसत 73.8 प्रतिशत है, साथ ही संघ शासित क्षेत्रों एवं राज्यों की सूची में बिहार का क्रमांक 28वाँ है।

(3) राज्य के साख-जमा अनुपात बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा सतत् प्रयास किये जा रहे हैं। राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा प्रत्येक त्रैमास में सभी बैंकों के आँकड़ों की समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र संबंधी एस0एल0बी0सी0 उप-समिति I & II तथा उद्योग संबंधी एस0एल0बी0सी0 उप-समिति द्वारा विशेष रूप से इन क्षेत्रों में बैंकों द्वारा ऋण प्रवाह की समीक्षा की जाती है तथा इसमें आ रही बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। जिला पदाधिकारियों द्वारा भी जिलास्तरीय समन्वय समिति की बैठकों में सतत् जिला के बैंकिंग गतिविधियों की समीक्षा की जाती है।

पटना :
दिनांक 18 फरवरी, 2019 (ई0) ।

बटेश्वर नाथ पाण्डेय,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।